

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर चाहे पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे लिससे दरिघा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्याल : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/3470

दिनांक: 30/03/11.....

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : सन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एज्यूकेशन, चेतकपुरी, ग्वालियर


मनोनीत सदस्य : 1. श्री दशरथ सिंह गुर्जर, सदस्य, कार्यपरिषद्
2. डॉ. जी.के. श्रीवास्तव, वनस्पति विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय, दतिया

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।


अधिष्ठिता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, सन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एज्यूकेशन, चेतकपुरी, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीव्र बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें। शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


अधिष्ठिता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र लेखक औलसाचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जिसे जीवाजी अन्व पदाधिकारी के नाम से।
लग्बित विषय पर यह पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ से तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाए जिससे संविधा हो।



ग्राह : गूबीगरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कूलसाचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/5019

दिनांक: 11/06/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एज्यूकेशन, ग्वालियर (0751-2432141) को प्रदान करने के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्ष/पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अबुशंसारें 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत जिन्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. महेश प्रकाश, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(0751-2442779)

(संयोजक)

(2) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(3) डॉ. बी.ए.ल. यादव, शा. शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अबुन.ति/अबानापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिजेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अबुशंसारें अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचबा पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से लम्पक स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देशी के लिए महाविद्यालय खत्यं उत्तराधीनी होगा। विसकी सूचबा आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बर्टी करता है तो समिति खत्यं विरत्त हो समिति का उत्तराधित किया जावेगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छत्रों को प्रेष देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय उदायक प्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की होगा। निरीक्षण समिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / नावदेश महाविद्यालय हाथ देय

3mmh3

कूलसाचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक नियायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कूलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कूलपति के सचिव / कूलसाचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कूलसाचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के बान से ही विचा जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के बान नहीं।
सम्बोधित विषय पर यदि दूर्वा ने पञ्च व्यवहार हुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक अपेक्षा लिखा जावे जिससे संतुष्टि हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५।३९

दिनांक: २५।७।१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सब हस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्यूकेशन, बेतकपुरी, ग्वालियर को सब 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.ली. तिवारी, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442756)

(2) प्रो. ए.के. हल्के, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. नुकेश कट्टरे, व्याक्याता, शासकीय शिक्षा अधिकारी विभाग, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्टिकल्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा प्रमाण पत्र के तहा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण कराएं। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधीरित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में कोई गड्ढ देखी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः विरक्त हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुर्बगठन किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्राकाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अद्वितीय कहाँगें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए., ई.ए., मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, लंबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के लिए / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर